राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 14.03.2026

राजस्व वाद संख्याः 09 / 2026

जीसीएमएस संख्याः 2026 / 10

दायर दिनांकः 13.01.2026

1. तेला राम पुत्र बिच्छु राम जाति नट निवासी ग्राम करेजड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

.... वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

.... प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री रमेश कुमार बिस्सु।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

—:निर्णयः—

निर्णय दिनांकः 14.03.2026

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। खेत खाता संख्या 131 वाके रोही ग्राम करेजडा तहसील सुजानगढ़ वादी के पिता की संयुक्त खातेदारी में दर्ज स्थित है। वादी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। वादी के पिता का नाम उक्त भूमि के खाता संख्या के राजस्व रिकॉर्ड में बीच्छुराम पुत्र सेवाराम जाति जाट दर्ज है जो अशुद्ध है, जबकि वादी का सही नाम बीच्छुराम पुत्र सतीदान जाति नट है। अन्य दस्तावेज भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, मृत्यू प्रमाण पत्र में भी वादी का सही नाम बीच्छुराम पुत्र सतीदान जाति नट ही अंकित है।

वादी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण रिकॉर्ड दुरस्त करवाना आवश्यक है।

प्रश्नगत खेत रोही करेजडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया

कि वादी के अन्य दस्तोवजों में वादी के पिता का सही नाम बीच्छुराम पुत्र सतीदान जाति नट अंकित है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम बीच्छुराम पुत्र सेवाराम जाति जाट दर्ज है। बीच्छुराम पुत्र सेवाराम जाति जाट व बीच्छुराम पुत्र सतीदान जाति नट दोनों एक ही व्यक्ति है। अलग–अलग नहीं है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा वादी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बीच्छुराम पुत्र सतीदान एवं जाति नट दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज छांयाप्रति यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड में वादी के पिता का नाम बीच्छुराम पुत्र सतीदान एवं वादी के पिता की जाति नट अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

वाद वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत रोही ग्राम करेजडा तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 131 में दर्ज खातेदार का नाम एवं जाति बीच्छुराम पुत्र सेवाराम जाति जाट के स्थान पर बीच्छुराम पुत्र सतीदान जाति नट दर्ज किया जावे। अन्य सभी प्रविष्टियां तथा रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2026 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़